क्रमांक, 17/11/93-2ए. आर.

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गावां मण्डल ।
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त, उपमण्डल अधिकारी (ना)
3. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 12-8-93

विषय :-- फैक्स मशीनों से प्राप्त संदर्भों के स्थाई रिकार्ड के लिये एक फोटो प्रति रखने बारे ।

महोदय,

मुझे कहने का निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित करूं और कहूं कि प्राय: यह देखने में आया है कि सरकारी कार्यालयों में जो संदर्भ फैक्स मशीनों द्वारा प्राप्त होते हैं उनका प्रिन्ट कुछ समय बाद फीका पड़ जाता है और यह संदर्भ अधिक समय तक डयूरेबल नहीं रहते । इस सम्बन्ध में वास्तविकता जान लेने के बाद यह निर्णव लिया गया है कि भविष्य में रिकार्ड के स्थाई रखन्रखाव के लिए फैक्स मशीनों से जो भी संदर्भ प्राप्त हों, उनकी एक फोटो प्रति करवा कर भी रिकार्ड में रख ली जाये ।

हस्ता/-
उप सचिव, प्रशासकीय सुधार
कृते: वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग ।

अति आवश्यक

अति तत्काल